


कार्यालय, जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार ।

निविदा आमंत्रण 3 / 2018-19

वित्तीय वर्ष 2018-19 की योजना- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत लातेहार जिला के कुल 280 प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों मत्स्य बीज की निकासी एवं बिक्री हेतु जाल एवं हापा के लिए उसके कय करने हेतु मुहरबन्द निविदा दिनांक 25.05.2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। दिनांक 26.05.2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे उपायुक्त लातेहार द्वारा गठित समिति के समक्ष उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जाएगी। विस्तृत जानकारी/निविदा की शर्तें जिला मत्स्य कार्यालय, लातेहार के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। ~~लातेहार जिला के वेबसाइट पर~~ w.w. Latehar.nic.in पर भी देखा जा सकता है।


जिला मत्स्य पदाधिकारी
लातेहार।

कार्यालय, जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार ।

जाल एवं हापा कय हेतु निविदा की शर्तः—

| क्र० | समग्री का नाम | कुल जाल एवं हापा की सं० | लम्बाई एवं चौड़ाई | अभ्युक्ति |
|------|---------------|-------------------------|-------------------|---|
| 1 | जाल | 280 | 100 फीट X 15 फीट | पूर्ण रूप से तैयार (हेड रोप एवं फुट रोप के साथ) |
| 2 | हापा | 280 | 2m x 1.5m x 1m | पूर्ण रूप से तैयार |

1. निविदादाता को पैन नंबर की अभिप्रमाणित छाया—प्रति एवं जी०एस०टी० की अभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
2. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो लिफाफे में देना आवश्यक होगा। निविदादाता को निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 11200.00 (ग्यारह हजार दो सौ) का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार नाम से देय होगा।
3. निविदा के साथ जाल एवं हापा का नमूना देना आवश्यक होगा एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. जाल का साईज 100 फीट X 15 फीट होगा जाल (हेड रोप एवं फुट रोप के साथ) एवं हापा का साईज 2m x 1.5m x 1m पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए।
5. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :- 25.05.2018 को 2.00 बजे अपराहन तक।
6. निविदा खुलने का समय एवं स्थान :- दिनांक 26.05.2018 को 10.30 बजे पूर्वाहन, उप विकास आयुक्त का कार्यालय, लातेहार।
7. अधोहस्ताक्षरी को निविदा को रद्द एवं अयोग्य/सुयोग्य करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. उपरोक्त निविदा के संबंध में कोई भी दावा न्यायालय में मान्य नहीं होगा।

9/5/18
जिला मत्स्य पदाधिकारी
लातेहार ।